


राजस्व वाद 43/2008
जीसीएमएस नंबर 2008/00035
ज्याणी बनाम् सम्पत वगैरह


186 रकबा 23.14 बीघा (3.8364 हैक्टेयर) वादीनी ज्याणी एवं प्रतिवादी संख्या 1 सम्पत पुत्र खिंयाराम के हक बंट कब्जा काश्त में रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाकर तथा तहसीलदार जायल के प्राप्त पीडी प्रस्ताव के अनुसार हम वादीगण का वाद स्वीकार कर निम्न प्रकार अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित समझते हैं।


- :: आदेश :: -

यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा गौराउ तहसील जायल में खेत खसरा नं. 185 रकबा 8.03 बीघा (1.3193 हैक्टेयर), खसरा नंबर 186 रकबा 23.14 बीघा (3.8364 हैक्टेयर) वादीनी ज्याणी एवं प्रतिवादी संख्या 1 सम्पत पुत्र खिंयाराम के हक बंट कब्जा काश्त में रखा जाकर खातेदार घोषित किये जाते हैं।


(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

निर्णय आज दिनांक 31.3.23 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।




(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल